न्यायालय- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी आशा कुमारी, जिला न्यायाधीश

सेशन प्रकरण 102/2020

राजस्थान राज्य बनाम मुकेश

अपराध अंतर्गत धारा **-365, 323, 376** भारतीय दण्ड संहिता

भाग-प्रथम

A

परिवादी	रमेश
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	मुकेश उर्फ मनोज पिता शंकर निवासी आरामपुरा थाना धरियावद
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री हरिश बाठी
लोक अभियोजक	श्री तरूण दास वैरागी
अधिवक्ता परिवादी	-

B

अपराध की दिनांक	05.02.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	25.04.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	23.07.2018
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	15.01.2019
साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	02.02.20236
निर्णय आरक्षित किए जाने की दिनांक	-
निर्णय दिनांक	09.07.2026

C – अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 468 बीएनएस के तहत अभिरक्षा अवधि
1.	मुकेश	28.04.2018	06.08.2018	365,323,376 भादसं०	दोषमुक्त	--	--

भाग - द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहन की सूची

अ-अभियोजन गवाहन

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती अण्डरवीयर, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
1.	पीडिता	पीड़िता
2	परमेश्वर	मौतबीर साक्षी
3	रमेश	परिवादी साक्षी
4	गौतम	मौतबीर साक्षी

5	राजीया	मौतबीर साक्षी
6	डाक्टर निलम	चिकित्सकीय साक्षी
7	धनराज	पुलिस साक्षी
8	भुलकी	वाकेआती साक्षी
9	सिकन्दर खान	पुलिस साक्षी
10	गणेशलाल	पुलिस साक्षी

ब-बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती अण्डरवीयर, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
-	--	--

स-न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, फर्द दस्तयाब, फर्द जब्ती अण्डरवीयर, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, अन्य गवाह)
--	--	--

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	नक्शा मौका
2	प्रदर्श पी 2	बयान पीड़िता
3	प्रदर्श पी 3	फर्द तस्दीक
4	प्रदर्श पी 4	फर्दतस्दीक
5	प्रदर्श पी 5	फर्द गिरफ्तारी
6	प्रदर्श पी 6	पुलिस रिपोर्ट
7	प्रदर्श पी-7	मेडिकल रिपोर्ट
8	प्रदर्श पी-8	नमूने भेजने का पत्र
9	प्रदर्श पी-9	नमूने भेजने का अग्रेषण पत्र
10	प्रदर्श पी-10	एफएसएल रसीद
11	प्रदर्श पी-11	चाक रिपोर्ट
12	प्रदर्श पी-12	तहरीर
13	प्रदर्श पी-13	तहरीर
14	प्रदर्श पी-14,15	फर्द सूचना
15	प्रदर्श पी-16	तहरीर
16	प्रदर्श पी-17	मेडिकल रिपोर्ट
17	प्रदर्श पी-18,19	रपट रोजनामचा

ब-बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
--	--	--

स-न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
--	--	--

द-भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
-	--	--

-निर्णय- दिनांक **09.07.2026**

01. थानाधिकारी,पुलिस थाना धरियावद द्वारा मुलजिम के विरूद्ध धारा-365,323,376 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद के न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया, जो इस न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से कमिट होकर प्राप्त हुआ।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक-25.04.2018 को परिवादी रमेश ने रिपोर्ट पेश की कि दिनांक-05.02.2018 को शाम चार बजे वह अपने घर पर था एवं पत्नी (जिसे आगे पीड़िता के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) भुलकी, जोमा तीनों जंगल में बकरियां चराने गई थी तो पत्नी को मुकेश ने मारपीट करते हुए कहीं ले गया। यह सूचना उसे भुलकी ने दी थी तब से उसकी पत्नी की तलाश की। पत्नी का कुछ दिन पूर्व आपरेशन किया हुआ है जिसके तीन बच्चे है। पत्नी दिनांक-17.03.2018 को वापस आयी जो डेढ माह तक मुकेश के साथ रही व अब उसके पीहर पाल गांव में अपने पिता के घर पर रह रही है। मुकेश उसका भतीजा लगता है और पीड़िता मुकेश की काकी लगती है। इस पर पुलिस थाना धरियावद में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-84/2018 दर्ज कर बाद तफतीश मुलजिम के खिलाफ उक्त अपराध का आरोप पत्र पेश होने पर मामला कमिट होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

03. बहस आरोप सुन कर मुलजिम को धारा-365,323,376 भादसं० का आरोप विरचित कर सुनाया समझाया गया, जिस पर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये उपर वर्णित गवाहान के बयान कराये तथा दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

05. मुलजिम को धारा-351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया लेकिन प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की।

06. उभयपक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणीय बिन्दू उद्भूत होते है कि-

1.क्या मुलजिम ने पीड़िता के साथ मारपीट कर गुप्त रीति से सदोष परिरूद्ध रखने हेतु अपने साथ सुरत ले जाकर रखा और उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन लैंगिक सम्भोग कर बलात्कार किया?

2.यदि कोई अपराध साबित हुआ, तो उसका दण्ड?

07. दौराने बहस विद्वान लोक अभियोजक का तर्क हैं कि पीडिता भुलकी के साथ जंगल में बकरिया चरा रही थी, जहां मुलजिम ने आकर पीड़िता के साथ मारपीट की और उसे अपने साथ सुरत ले गया जहां सदोष परिरूद्ध रख कर उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन लैंगिक सम्भोग कर बलात्कार किया,जिन तथ्यों की पुष्टि स्वयं पीड़िता,उसके पति व चश्मदीद गवाह भुलकी की साक्ष्य से

होती है, जिससे मुलजिम के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होते है। दोषसिद्ध कर दण्डित करने का निवेदन किया।

08. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता मुलजिम का तर्क है कि मुलजिम मुकेश पीड़िता को जबरन अथवा बहला फुसला कर नहीं ले गया ना ही जबरन बलात्कार ही किया है। पीड़िता वयस्क आयु की महिला है जो मजदूरी करने सुरत गई थी,जहां मुलजिम भी मजदूरी करता था, जिससे नाजायज रूपये ऐंठन के लिये यह झूंठा मामला दर्ज करवा दिया गया है। पीड़िता की जिरह में किये गये कथनों से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी मिथ्या हो जाती है। आगे तर्क दिया कि जिस दिन पीड़िता मजदूरी करने गई, उसी दिन परिवादी को पता था, लेकिन तत्काल अथवा पीड़िता के मजदूरी से वापस लौट कर आने के तुरंत बाद कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। पीडिता को डेढ माह तक मुलजिम द्वारा रखना बताया जाता है लेकिन कहां रखा,किसके वहां रखा, किस अवस्था में रखा इस बारे में ना तो अनुसंधान किया गया ना ही कोई साक्ष्य ही पेश हुई हैं। डाक्टर की साक्ष्य अनुसार पीड़िता के शरीर व गुप्तांग पर कोई चोंट नहीं पाई गई है जिससे भी बलात्कार अथवा सम्भोग होने की ताईद नहीं होती है। आगे तर्क दिया कि भुलकी मुकेश द्वारा आकर लडाई झगडा करना व पीड़िता को सुरत ले जाना बताती है,लेकिन इसकी ताईद स्वयं पीड़िता ने नहीं की है,जिससे इसके कथन सारवान नहीं माने जा सकते है। प्रस्तुत साक्ष्य से मुलजिम के खिलाफ आरोपित आरोप युक्तियुक्त सन्देहसे परे साबित नहीं होता है। मुलजिम को आरोपित आरोप से दोषमुक्तकरने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज एवं बहस पर विवेचनः–

09. उभयपक्षों की बहस पर विचार किया एवं पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

10. जहां तक घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी का प्रश्न है, प्रदर्श पी–6 रिपोर्ट परिवादी रमेश, जो कि पीड़िता का पति है, ने दिनांक–25.04.2018 को थाना धरियावद में पेश की है, जिसमें दिनांक–05.02.2018 को जंगल से पीड़िता को मुलजिम द्वारा मारपीट कर ले जाना व डेढ माह तक मुकेश के साथ रहना एवं दिनांक–17.03.2018 को वापस आना व पीहर में रहना उल्लेखित किया है। पी०ड०–3 रमेश जिरह में स्वीकार करता है कि,'' जिस दिन मेरी पत्नी को मुकेश लेकर गया था उस दिन लडके ने आकर बताया दिया था लेकिन उस दिन मैं रिपोर्ट करने नहीं गया था।'' घटना दिनांक को परिवादी को घटना की जानकारी होने के बावजूद उसने लगभग दो माह बाद रिपोर्ट दर्ज कराई है एवं पीड़िता के डेढ माह बाद लौट कर आने के उपरांत भी तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है ना ही विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण ही दिया है, जिससे देरीना रिपोर्ट दर्ज कराना और उसका समाधानप्रद स्पष्टीकरण पेश नहीं करना मेरे विनम्र मत में अभियोजन के लिये घातक पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न –1

11. जहां तक मुलजिम द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट कर गुप्त रीति से सदोष परिरूद्ध रखने हेतु अपने साथ सुरत ले जाकर रखने और उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन लैंगिक सम्भोग कर बलात्कार करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में पीड़िता, उसका पति व भुलकी महत्वपूर्ण साक्षी है।

12. पी०ड०-1 पीडिता का कथन है कि करीब तीन चार साल पहले वह भुलकी, जोमा तीनों जंगल में बकरियां चराने गये वहां मुकेश आया और उसके माथे पडा, उसे पकड लिया और मारपीट की तथा घसीटते हुए पहाडी की तरफ ले गया। भुलकी व जोमा ने छुडवाने की कोशिश की लेकिन मुकेश कुल्हाडी लेकर उनके पर दौडा जिससे वह दोनों वहां से भाग गई। उसके साथ मुकेश ने खोटा काम किया तथा इज्जत ली। उसे नरवाली से अहमदाबाद बस में बैठा कर ले गया। मारपीट से उसकी हालत खराब होने से उसका ईलाज करवाया था। बडी मुश्किल से सुरत से भाग कर धरियावद आई व पीहर पाल चली गई।

13. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक-05.02.2018 की घटना के डेढ माह बाद पीड़िता वापस लौट कर आई थी तदुपरांत परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है,लेकिन रिपोर्ट में मुलजिम द्वारा कुल्हाडी लेकर आना, माथे पड कर पकडना, घसीटते हुए पहाडी की तरफ ले जाना, भुलकी व जामा द्वारा छुडाने की कोशिश करने पर मुकेश का कुल्हाडी लेकर दौडने जिससे उनका भाग जाना और फिर मुकेश द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने का कोई तथ्य उल्लेखित किया जाना नहीं पाया जाता है।

14. **<u>जिरह में</u>** पीड़िता का कथन है कि,''यह बात सही है कि मुझे घटना के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। यह बात सही हैं कि मैने पूर्व में बयान पति व गांव वालों के कहने से दिये है। <u>यह बात सही है कि मैं मुकेश के साथ अहमदाबाद सुरत दो माह रही थी और यह भी सही है कि मैं व मुकेश अहमदाबाद सुरत मजदूरी करने जाते थे और हम दोनों ही साथ रहते थे। यह बात सही है कि न ही मुकेश ने मुझे डराया धमकाया व न ही मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर गया था।</u> यह बात सही हैं कि मेरे मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो बयान हुए थे वह पुलिस वालों के कहे अनुसार मैने दिये थे।'' इस प्रकार जिरह में पीडिता द्वारा स्वीकार किये गये तथ्यों से उसकी मुख्य परीक्षा में उल्लेखित साक्ष्य खण्डित हो जाती है। पीड़िता जिरह में मुलजिम द्वारा डरा धमका कर जबरदस्ती ले जाने से इन्कार करती है एवं अहमदाबाद सुरत में दो माह तक मुलजिम के साथ रहना व मजदूरी करना प्रकट करती है, जिससे मुलजिम द्वारा मारपीट कर जबरन पीड़िता को गुप्त रीति से सदोष परिरोध रखने हेतु सुरत ले जाकर बलात्कार करने के आरोप बाबत पीड़िता की विश्वसनीयता का खण्डन होता है एवं पीडिता की साक्ष्य से अभियोजन कहानी की पुष्टि होना नहीं पाई जाती है।

15. पी०ड०-6 डाक्टर निलम के अनुसार उसने पीड़िता की बलात्कार सम्बन्धी जांच करते हुए रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 बताई थी, जिसके शरीर व गुप्तांग पर चोंट के निशान नहीं थे। उसकी वेजाईना से स्वाब लेकर मेडिकल ज्यूरिस्ट को स्लाईड तैयार कर दी थी जिसे जांच हेतु भिजवाया था, लेकिन एफएसएल की कोई रिपोर्ट आज दिनांक तक पेश होकर प्रदर्शित नहीं हुई है। इसके अलावा पीड़िता के शरीर व गुप्तांग पर कोई चोंट के निशान नहीं पाये गये है। स्वयं पीडिता की साक्ष्य से मुलजिम द्वारा जबरन ले जाकर बलात्कार करने की पुष्टि नहीं होती है ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष को कोई सहायता नहीं पहुंचती है।

16. पी०ड०-3 रमेश पीडिता के पति का कथन है कि दो-तीन साल पहले सुबह के समय उसकी पत्नी,झुमली के साथ जंगल में बकरियां चराने गई तो मुकेश उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर

जबरन साथ ले गया। गांव के लोगों ने यह घटना बताई थी। उसकी पत्नी ने वापस आकर बताया कि वह जब बकरियां चरा रही थी तो मुकेश उसे जबरन सुरत ले गया था फिर उसने रिपोर्ट की थी।

17. जिरह में गवाह का कथन है कि उसकी पत्नी डेढ माह बाद वापस आई थी। रिपोर्ट में जो भी लिखा है वह पुलिस वालों ने लिखा है। घटना दिनांक–05.02.2018 की है और थाने पर रिपोर्ट उसने दिनांक–205.04.2018 को दी है। गवाह के अनुसार''सुरत में मेरी पत्नी ने मजदूरी की थी।''इस प्रकार यह गवाह पत्नी द्वारा घटना के बारे में बताना जाहिर करता है, लेकिन पी०ड०–1 पीड़िता का ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि उसने सुरत से आकर अपने पति को घटना के बारे में बताया हो बल्कि पीड़िता ने सुरत से भाग कर धरियावद व वहां से पीहर पाल चले जाना बताया है। परिवादी के अनुसार झुमली उसकी पत्नी के साथ जगंल में थी, लेकिन झुमली को अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में पेश नहीं किया है। परिवादी ने घटना के बारे में गांव के लोगों द्वारा बताना प्रकट किया,लेकिन गांव के किन लोगों ने कब उसे घटना के बारे में बताया, ऐसा प्रकट नहीं किया है ना ही ऐसे किन्हीं गांव के लोगों को अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में पेश ही किया हैं। यह गवाह जिरह में डेढ माह बाद पत्नी का आना व उसके बाद रिपोर्ट कराना कहता है लेकिन स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी ने सुरत में मजदूरी की थी, लेकिन उसने सूरत में कहां मजदूरी किसके यहां की, किसके साथ किस तरह से रहती थी,इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है ना ही अभियोजन की ओर से इन बिन्दूओं के सम्बन्ध में किसी गवाह को पेश किया है, जिससे पीड़िता की साक्ष्य के क्रम में इस गवाह की साक्ष्य का विशेष महत्व नहीं रहता है।

18. पी०ड०–8 भुलकी का कथन है कि 5–6 साल पहले पीड़िता व जोमा जंगल में बकरियां चराने गई थी वहां मुकेश आया जो कुल्हाडी लेकर उनके माथे पड गया। मुकेश पीड़िता को लेकर सुरत भाग गया था। मुकेश ने पीड़िता के कपडे फाड दिये और इज्जत ले ली थी।

19. **जिरह में** यह गवाह झगडे में पीड़िता व स्वयं के कपडे फटना बताती है, लेकिन ऐसा स्वयं पीड़िता का कथन नहीं रहा है ना ही पीडिता व इस गवाह के फटे हुए कपडों को पुलिस ने अनुसंधान के दौरान जब्त ही किया है। जिरह में गवाह केवल लडाई झगडे की बात को लेकर कार्यवाही करना और कोई दूसरी घटना नहीं होना प्रकट करती है। इस गवाह ने पीडिता के पति को जाकर घटना की सूचना दी हो, ऐसा इसका कथन नहीं रहा है ना ही पीड़िता के पति का ऐसा कथन रहा है। मुलजिम द्वारा पीड़िता को जबरन ले जाने व बलात्कार करने का तथ्य स्वयं पीड़िता द्वारा जिरह में किये गये कथनों से विश्वसनीय नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में इस गवाह की साक्ष्य उक्त विवेचन के प्रकाश में घटना बाबत सारवान होना नहीं पाई जाती है।

20. पी०ड०–9 सिकन्दर खान अनुसंधानकर्ता ने मुलजिम की इतिल्ला पर जंगल वाले घटनास्थल की तस्दीक प्रदर्श पी–3 करना बताया जिसकी ताईद मौतबीर गवाह पी०ड०–2 परमेश्वर व पी०ड०–5 राजीया ने अपने बयान में की है, लेकिन अनुसंधानकर्ता के अनुसार इस मौका तस्दीक से पूर्व उसने नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 इसी स्थान का तैयार कर लिया था, जिससे मुलजिम द्वारा इसी स्थान की मौका तस्दीक कराने का कोई विधिक महत्व नहीं रहता है।

21. पी०ड०-9 सिकन्दर खान अनुसंधान कर्ता के अनुसार उसने मुलजिम की इतिल्ला पर सुरत में जिस स्थान पर पीड़िता को रखा वहां की मौका तस्दीक प्रदर्श पी-4 कराना बताया जिसकी ताईद पी०ड०-2 परमेश्वर ने अपने बयान में की है, लेकिन अनुसंधानकर्ता जिरह में स्वीकार करता है कि सुरत में मकान मालिक व पडौसियों के बयान नहीं लिये थे। सुरत वाले मकान से मुलजिम व पीड़िता का कोई सामान या आधार कार्ड की प्रति नहीं मिली थी। जिरह में पीड़िता मजदूरी करने सुरत जाना व मुलजिम द्वारा डरा धमका कर जबरन ले जाने से इन्कार करती है। ऐसी स्थिति में प्रदर्श पी-4 मौका तस्दीक का कोई महत्व शेष नहीं रहता है।

22. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से मुलजिम द्वारा मारपीट कर पीड़िता को जंगल से गुप्त रीति से सदोष परिरोध रखने के आशय से सुरत ले जाकर रखना और उसकी इच्छा व सहमति के बिना जबरन लैंगिक सम्भोग कर बलात्कार करना युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। पीड़िता की साक्ष्य घटना बाबत विश्वसनीय नहीं है, जिससे मुलजिम के विरूद्ध आरोपित आरोप साबित सन्देह से परे नहीं होते है। फलस्वरूप मुलजिम को आरोपित आरोप से दोषमुक्त करना न्यायोचित पाया जाता है।

आ दे श

23. परिणामतः मुलजिम मुकेश उर्फ मनोज पिता शंकर निवासी आरामपुरा थाना धरियावद को धारा-365,323,376 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

24. प्रकरण में चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किये गये नमूनों को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट कर दिया एवं अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार मालखाना आर्टिकल्स का निस्तारण किया जावे।

25. मुलजिम न्यायिक अभिरक्षा में है,जिसे आदेशित किया जाता है कि वह धारा-481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पच्चीस हजार रूपये का मुचलका पेश कर तस्दीक करावें।

26. प्रकरण की परिस्थितियों में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत कोई अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(आशा कुमारी)
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़

27. निर्णय आज दिनांक-09.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशा कुमारी)
सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़

ALPESH KUMAR NAGAR
Digitally signed by ALPESH KUMAR NAGAR
Date: 2026.07.09 14:44:18 +0530